(3)प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स अनुमोदन के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेगें और ऐसे समस्त आर्डिनेन्स, कुलाधिपति द्वारा उनके अनुमोदन के पश्चात्, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगें।

34. नियम और उनका बनाया जाना :- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, जहां प्रबंध बोर्ड से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा नियम बनाये जाये, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम, परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित विषयों के संबंध में और अपने कार्यकलापों के संचालन और ऐसे प्राधिकारी द्वारा गठित की गयी समितियों के कार्यकलापों के लिए नियम बनाने की शक्ति होगी। ऐसे नियम इस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेन्सों के उपबंधों से असंगत नहीं होगें।

अध्याय - 6
सम्बद्धता, मान्यता और अनुमोदन

35 सम्बद्धता :- (1) विश्वविद्यालय के संबद्धता के लिए आवेदन करने वाला कोई महाविद्यालय कुलसचिव को एक आवेदन पत्र भेजेगा और विद्या परिषद् का यह समाधान करेगाः-

(क) कि महाविद्यालय उस परिक्षेत्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, जहाँ महाविद्यालय स्थापित किया जाना है, चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षण और अध्यापन के बारे में परिक्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करेगा;

(ख) कि महाविद्यालय नियमित रूप से गठित शासी निकाय के प्रबंधाधीन रहेगा;

(ग) कि उसके अध्यापन कर्मचारीवृन्द की संख्या तथा अर्हताएँ और उनकी पदावधि को विनियमित करने वाली शर्तें ऐसी हैं कि महाविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए सम्यक् उपबंध किये जा सकें;

(घ) कि भवन, जिनमें महाविद्यालय अवस्थित किया जाना है, उपयुक्त हैं और यह कि उन छात्रों के लिए, जो अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ नहीं रह रहे हैं, महाविद्यालय में या महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित वासों में निवास के लिए

और छात्रों के पर्यवेक्षण और कल्याण के लिए आर्डिनेन्स के अनुरूप उपबंध किये जायेंगे;

(ड) कि पुस्तकालय के लिए सम्यक् उपबंध किये गये हैं या किये जायेंगे;

(च) कि समुचित रूप से उपस्कृत प्रयोगशाला या संग्रहालय में चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षा देने के लिए, परिनियमों और आर्डिनेंसों के अनुरूप इंतजाम किये जायेंगे;

(छ) कि जहां तक परिस्थितियां अनुज्ञात करें, प्राचार्य और अध्यापन कर्मचारीवृन्द के कुछ सदस्यों के निवास के लिए महाविद्यालय या छात्रों के निवास के लिए उपलब्ध कराये गये स्थान में या उसके निकट सम्यक् उपलब्ध कराये गये स्थान में या उसके निकट सम्यक् उपबन्ध किया जायेगा;

(ज) कि महाविद्यालय के वित्तीय संसाधन ऐसे हैं कि उनके निरन्तर अनुरक्षण और दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए सम्यक् उपबन्ध किये जा सकें; और

(झ) कि छात्रों द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस, यदि कोई हो, नियत करने वाले नियम इस प्रकार विरचित नहीं किये गये हैं जिसमें उसी के पड़ोस में विद्यमान किसी महाविद्यालय के साथ ऐसी प्रतियोगिता अन्तर्वलित हो जाये, जो शिक्षा के हितों को नुकसान पहुँचाने वाली हो।

(2) कि आवेदन-पत्र में यह आश्वासन अन्तर्विष्ट होगा कि महाविद्यालय की संबद्धता के पश्चात् प्रबंध या अध्यापन कर्मचारीवृन्द में ऐसे किन्हीं परिवर्तनों और समस्त अन्य परिवर्तनों की, जिनके परिणामस्वरूप उप-धारा (1) में उल्लिखित अपेक्षाओं में से किन्हीं की पूर्ति नहीं हो पाये या पूर्ति निरन्तर नहीं होती रहे, विद्या परिषद् को तत्काल रिपोर्ट की जायेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विद्या परिषद् -

(क) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विषयों और ऐसे अन्य विषयों के संबंध में जिन्हें आवश्यक और सुसंगत समझा जाये, किसी सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा कोई स्थानीय जाँच किये जाने का निर्देश करेगी;

(ख) ऐसी और जाँच भी करेगी जो उसे इसके बारे में आवश्यक प्रतीत हो;

(ग) उसे संप्रेषित किन्हीं शर्तों के पुनर्विचार के लिए आवेदक द्वारा किये गये निवेदन पर, यदि कोई हो, सम्यक् विचार करेगी;

(घ) खण्ड (क) और (ख) के अधीन किसी जाँच के परिणाम का कथन करते हुए, इस प्रश्न पर कि क्या आवेदन पत्र को संपूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जाना चाहिए, अपनी राय अभिलिखित करेगी।

(4) कुलसचिव आवेदन पत्र और समस्त कार्यवाहियों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, उस आवेदन या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी।

(5) जहाँ आवेदन पत्र या उसके किसी भी भाग को मंजूर कर लिया जाता है, वहाँ राज्य सरकार के आदेश में वह शिक्षण पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट होगा जिसके संबंध में महाविद्यालय

को संबद्ध किया गया है, जहाँ आवेदन पत्र या उसका कोई भाग नामंजूर कर दिया जाता है, वहाँ ऐसी नामंजूरी के आधार कथित किये जायेंगे।

(6) राज्य सरकार अपना आदेश कर दे उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र कुलसचिव, प्रबंध बोर्ड को आवेदन पत्र उस पर उप धारा (3) से (5) के अधीन की गयी कार्यवाई और उससे संसक्त समस्त कार्यवाहियों के संबंध में एक संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) उप धारा (1) के अधीन किया गया कोई भी आवेदन पत्र, उप धारा (4) के अधीन किये गये आदेश से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

36. संबद्धता का संवर्धन - जहाँ कोई महाविद्यालय शिक्षण पाठ्यक्रम को, जिससे वह संबद्ध है, परिवर्धित करने की वांछा करता है वहाँ जहां तक हो सके, धारा 35 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

37. अनुसंधान और विशेषज्ञीय अध्ययन की संस्थाओं को मान्यता - (1) विद्या परिषद् को महाविद्यालय से भिन्न किसी संस्था को चिकित्सा की भारतीय पद्धति में, अनुसंधान या विशेषज्ञीय ज्ञान की किसी मान्यताप्राप्त संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) कोई संस्था जो ऐसी मान्यताप्राप्त करने की इच्छुक हो, कुलसचिव को आवेदन-पत्र भेजेगी और आवेदन पत्र में निम्नलिखित मामलों के बारे में पूर्ण जानकारी देगी, अर्थात् :-

(क) प्रबन्ध निकाय का गठन और उसके कार्मिक;

(ख) विषय और पाठ्यक्रम जिनके विषय में मान्यता ली जानी है;

(ग) वास सुविधा, उपस्कर, पुस्तकालय सुविधा और विद्यार्थियों की संख्या, जिनके लिए उपबंध किया गया है या प्रस्तावित किया जाना है;

(घ) स्टाफ की संख्या, उनकी अर्हताएँ और वेतन और उनके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य;

(ड) उद्गृहीत फीस या उद्गृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित फीस और भवन और उपस्कर पर पूँजीगत व्यय, और संस्था के निरन्तर अनुरक्षण और उसके प्रभावी कामकाज के लिए किये गये वित्तीय उपबन्ध।

(3) विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने से पूर्व कोई और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे मांग सकेगी।

(4) यदि विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने का विनिश्चय करती है तो वह किसी सक्षम व्यक्ति या, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जाँच कर निर्देश दे सकेगी। ऐसी स्थानीय जाँच के परिणामस्वरूप तैयार की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जाँच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विद्या परिषद् आवेदनपत्र या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी।

जहाँ आवेदन या उसका कोई भाग मंजूर किया जाता है वहां विद्या परिषद् शिक्षा के उन विषयों और पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में उस संस्था को मान्यता दी गयी हैं ओर प्रबंध बोर्ड के उसकी अगली उत्तरवर्ती बैठक में रखने के लिए इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जहां आवेदन या उसका कोई भाग नामंजूर किया जाता है वहाँ ऐसी नामंजूरी के आधार कथित किये जायेंगे।

38 संस्थाओं का अनुमोदन- (1) विद्या परिषद् को एक एकल अर्हित अध्यापक के मार्गदर्शन के अधीन चिकित्सा की भारतीय पद्धति में विशेषज्ञीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, इन्टर्नशिप, अनुसंधान या शैक्षणिक कार्य के लिए किसी संस्था को अनुमोदित संस्था के रूप में अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

(2) संस्था, जो ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक हो कुलसचिव को एक आवेदन पत्र भेजेगी और आवेदन-पत्र में निम्नलिखित मामलों के संबंध में पूर्ण जानकारी देगी, अर्थात् :-

(क) अध्यापक का नाम, अर्हताएँ, अनुभव और अनुसंधान कार्य जिसके अधीन अनुमोदित कार्य किया जाना है;

(ख) कार्य की प्रकृति या विषय जिसके लिए कार्य किया जाना प्रस्तावित है;

(ग) वास-सुविधा, उपस्कर, पुस्तकालय सुविधा और विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए उपबन्ध किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है:

(घ) उद्गृहीत या उद्गृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित फीस और भवन और उपस्कर पर पूँजीगत व्यय और संस्था के निरंतर अनुरक्षण और उसके प्रभावी कामकाज, के लिए किये गये वित्तीय उपबंध।

(3) विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने से पूर्व, कोई और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, माँग सकेगी।

(4) यदि विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने का विनिश्चय करती है तो वह सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जाँच का निर्देश दे सकेगी। ऐसी स्थानीय जाँच के परिणामस्वरूप तैयार की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जाँच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विद्या परिषद् आवेदन-पत्र या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी। जहाँ आवेदन-पत्र या उसका कोई भाग नामंजूर किया जाता है वहां विद्या परिषद् शिक्षा के उन विषयों और पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में उस संस्था को अनुमोदित किया गया है, और प्रबंध बोर्ड की उसकी अगली उत्तरावर्ती बैठक में रखने के लिए इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जहाँ आवेदन-पत्र या उसका कोई भाग नामंजूर किया जाता है वहां ऐसी नामंजूरी के आधार वर्णित किये जायेंगे।

39. महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्टें - (1) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त संस्था और अनुमोदित संस्था ऐसी रिपोर्टें, विवरणियाँ और अन्य जानकारी देगा जिनकी विद्या परिषद् ऐसे महाविद्यालय या संस्था की दक्षता को आंकने में उसे समर्थ बनाने के लिए, अपेक्षा करे।

(2) विद्या परिषद् प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय या संस्था का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करायेंगी।

(3) विद्या परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर ऐसी कार्यवाई, जो उसे धारा 35 की उप धारा (1), धारा 37 की उप धारा (2) या, यथास्थिति, धारा 38 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में आवश्यक प्रतीत हो, करने की अपेक्षा कर सकेगी।

40. सम्बद्धता का प्रत्याहरण - (1) महाविद्यालय को सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार, यदि महाविद्यालय धारा 35 की उप-धारा (1) के किसी उपबन्ध का पालन करने में असफल रहता है या महाविद्यालय उससे संबद्धता की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है या महाविद्यालय ऐसी रीति से संचालित होता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, पूर्णतः या भागतः प्रत्याहत किये जा सकेंगे या उपांतरित किये जा सकेंगे।

(2) ऐसे अधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण के लिए प्रस्ताव केवल विद्या परिषद् में आरंभ किया जायेगा। विद्या परिषद् का ऐसा सदस्य, जो ऐसा प्रस्ताव करने का आशय रखता है उसकी सूचना देगा और वे आधार लिखित रूप में कथित करेगा जिन पर ऐसा प्रस्ताव किया गया है।

(3) उक्त प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व विद्या परिषद् संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य को ऐसी सूचना सहित कि महाविद्यालय की और से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत किसी अभ्यावेदन पर विद्या परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा, सूचना की एक प्रति और उप धारा (2) में उल्लिखित लिखित कथन भेजेगी; परन्तु यह कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि, यदि आवश्यक हो, विद्या परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकेगी ;

(4) अभ्यावेदन की प्राप्ति या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर विद्या परिषद् प्रस्ताव सूचना, कथन और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् और सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऐसे निरीक्षण, और ऐसी और जांच जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, के पश्चात् प्रबंध बोर्ड को एक रिपोर्ट देगी।

(5) उप-धारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त प्रबंध बोर्ड ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् मामले मे अपनी राय अभिलिखित करेगा,

परन्तु संबद्धता के प्रत्याहरण की सिफारिश करने वाला प्रबंध बोर्ड का कोई संकल्प तब तक पारित हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि ऐसे संकल्प को प्रबंध बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत का समर्थन नहीं मिला हो, ऐसा बहुमत प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के आधे से कम नहीं होगा।

(6) कुलसचिव प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के उससे संबंधित प्रस्ताव और सभी कार्यवाहियां, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् ऐसा आदेश करेगी जो उसे उचित प्रतीत हो और उससे प्रबंध बोर्ड को संसूचित करेगी।

(7) जहाँ उप धारा (6) के अधीन किये गये आदेश द्वारा संबद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकार पूर्णतः या भागतः प्रत्याहत कर लिये गये हैं या उपांतरित किये गये हैं, वहां ऐसे प्रत्याहरण या उपान्तरण के आधार आदेश में कथित किये जायेंगे।

41. मान्यता या अनुमोदन का प्रत्याहरण - (1) किसी संस्था को मान्यता या अनुमोदन द्वारा प्रदत्त अधिकार, विद्या परिषद् द्वारा, यदि संस्था उसकी मान्यता या अनुमोदन की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल हो गयी है या उसे समनुदेशित कार्य का संचालन ऐसी रीति से होता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक संस्था को छोड़ता है, प्रत्याहत या किसी कालावधि के लिए निलंबित किये जा सकेंगे।

(2) किसी भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्था के बारे में उप धारा (1) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व विद्या परिषद् उस संस्था से लिखित सूचना द्वारा, ऐसी सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर-भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करेगी कि क्यों न ऐसा आदेश कर दिया जाये। कारण दर्शित करने के लिए दी गयी ऐसी कालावधि, यदि आवश्यक हो, विद्या परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(3) सूचना के उत्तर में उस संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर और जहाँ ऐसा उत्तर प्राप्त न हुआ हो, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर, विद्या परिषद्, ऐसी जाँच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विनिश्चय करेगी कि क्या मान्यता या अनुमोदन प्रत्याहत कर लिया जाये, या यथास्थिति, निलंबित कर दिया जाये और तदनुसार आदेश करेगी।

(a) The admission of students to the University;
(b) the course of study and curricula to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University.
(c) The conditions under which students shall be admitted to courses of study and curricula and examinations for degrees, diplomas and other academic distinctions;
(d) The recognition and inspection of hostels;
(e) Conditions of residence, conduct, attendance and discipline of students of the University;
(f) Conduct of examinations;
(g) recognition of supervisors for guiding research;
(h) emolument and conditions of service of the University teachers;
(i) rules to be observed and enforced by affiliated colleges in respect of transfer of students;
(j) number, qualification and condition of appointment of teachers of the University;
(k) duties and powers of the Committees to be appointed by the authorities;
(l) the powers and duties of the Registrar and other officers and servants of the University;
(m) the conditions governing appointments and duties of examiners;
(n) the mode of execution of contracts or agreements for, or on behalf of the University;
(o) the fees to be charged for courses of instruction in, or on behalf of the University;
(p) all matters which by this Act or the Statutes are to be or may be provided for by Ordinances; and
(q) generally, all matters for which provision is, in the opinion of Board of Management, necessary for the exercise of the powers conferred, or the performance of the duties imposed, upon the University authorities by this Act or Statutes.

Provided that no Ordinances concerning admission to the University or to its examinations, courses of study, scheme of examination, attendance and appointment of examiners shall be considered unless a draft of such Ordinances has been proposed by the Academic Council.

(2) The Board of Management shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under the provison to such-section (1) but may return it to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part, together with any amendment which the Board of Management may suggest.

(3) All Ordinances made by the Board of Management shall be submitted to the Chancellor for approval and all such Ordinances shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette after the approval by the Chancellor.

34. Rules and their making:- An authority of the University shall, subject to the approval of the Board of Management where the Rules are made by an authority other than the Board of Management, have power to make rules in respect of the matters provided by this Act, Statutes or Ordinances and for the conduct of its affairs and the affairs of the committees constituted by such authority. Such rules shall not be inconsistent with the provisions of this Act, Statutes and Ordinances.

Chapter VI

AFFILIATION, RECOGNITION

AND APPROVAL

35. Affiliation:- (1) A College applying for affiliation to the University shall send a letter of application to the Registrar and shall satisfy the Academic Council-

(a) that the college will supply a need in the locally in respect of instruction and teaching in the Indian System of Medicine having regard to the suitability of the locality where the college is to be established;
(b) that the college is to be under the management of a regularly constituted governing body;
(c) that the strength and qualification of the teaching staff and the conditions governing their tenure of office are such as to make due provision for the course of instruction, teaching or training to be undertaken by the college;
(d) that the buildings in which the college is to be located are suitable and that provision will be made in conformity with the Ordinances for the residence in the college or in lodging approved by the college, for students not residing with their parents or guardians and for the supervision and welfare of students.
(e) that due provision has been made or will be made for a library;
(f) that arrangements have been or will be made in conformity with the Statutes and Ordinances for imparting instruction in Indian System of Medicine in a properly equipped laboratory or museum;
(g) that due provision will, as far as circumstances may permit, be made for the residence of the Principal and some members of the teaching staff in or near the college or the place provided for the residence of the students;
(h) that the financial resources of the college are such as to make due provision for its continued maintenance and efficient working; and
(i) that the college rules fixing the fees, if any, to be paid by the students, have not been so framed as to involve such competition with any existing college in the same neighbourhood as would be injurious to the interest of education.

(2) The application shall contain as assurance that after the college affiliated, any changes in the management or teaching staff and all other changes, which result in any of the requirements mentioned in the sub-section (1) not being fulfilled or continued to be fulfilled, shall be forthwith reported to the Academic Council.

(3) On receipt of a letter of application under sub-section (1) the Academic Council shall -

(a) direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorized by it in this behalf in respect of the matters referred to in sub-section (1) and such matters as may be deemed necessary and relevant;

(b) make such further inquiry as may appear to it to be necessary;

(c) give due consideration to the request, if any, made by the applicant for a reconsideration of any of the conditions conveyed to him;

(d) record it's opinion on the question whether the application should be granted or refused other in whole or in part, stating the result of any enquiry under clauses (a) and (b).

(4) The Registrar shall submit the application and all proceedings to the State Government, which, after such inquiry as may appear to it to be necessary, shall grant or refuse the application or any part thereof.

(5) Where the application or any part thereof is granted the order of the State Government shall specify the courses of instruction in respect of which the college is affiliated and where the application of any part thereof is refused, the grounds of such refusal shall be stated.

(6) As soon as possible after the State Government makes its order, the Registrar shall submit to the Board of Management a full report regarding the application, the action taken thereon under sub-sections (3) to (5) and of all proceedings connected therewith.

(7) An application under sub-section (1) may be withdrawn at any time before an order is made under sub-section (4).

36. Extension of affiliation.- Where a College desires to add to the courses of instruction in respect of which it is affiliated, the procedure prescribed by section 35 shall, so far as may be, be followed.

37. Recognition of institutions of research and specialized studies.- (1) The Academic Council shall have the power to recognize as a recognized institution any institution of research or specialized studies in Indian System of Medicine other than a college.

(2) An institution which desires to have such recognition shall send letter of application to the Registrar and shall give full information in the letter of application in respect of the following matters, namely:-

(a) constitution and personnel of the managing body;

(b) subjects and courses in regard to which recognition is sought;

(c) accommodation, equipment, library facilities and the number of students for whom provision has been or is proposed to be made;

(d) the strength of the staff, their qualifications and salaries and the research work done by them;

(e) fees levied or proposed to be levied and the financial provision made for capital expenditure on buildings and equipment and for the continued maintenance and efficient working of the institution.

(3) Before taking the application into consideration the Academic Council may call for any further information, which it may deem necessary.

(4) If the Academic Council decides to take the application into consideration, it may direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorized by it in this behalf. After considering the report made as a result of such local inquiry and making such further inquiry as may appear to it to be necessary, the Academic Council shall grant or refuse the application or any part thereof. Where the application or any part thereof is granted, the Academic Council shall specify the subjects and courses of instruction in respect of which the institution is recognized and make a report to that effect to the Board of Management at its next succeeding meeting. Where the application or any part thereof is refused, the grounds of such refusal shall be stated.

38. Approval of institutions.- (1) The Academic Council shall have the power to approve an institution as an approved institution for specialized studies, laboratory work, internship, research or other academic work in the Indian System of Medicine under the guidance of a single qualified teacher.

(2) An institution which desires to have such approval shall send a letter of application to the Registrar and shall give full information in the letter of application in respect of the following matters, namely :-

(a) the name, qualifications, experience and research work of the teacher under whom approved work is to be done.

(b) the nature of work or the subjects for which work is proposed to be done;

(c) accommodation, equipment, library facilities and the number of students for whom provision has been made or is proposed to be made;

(d) fees levied or proposed to be levied and the financial provision made for capital expenditure on buildings and equipment and for the continued maintenance and efficient working of the institution.

(3) Before taking the application into consideration the Academic Council may call for any further information, which it may deem necessary.

(4) If the Academic Council decides to take the application into consideration, it may direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorised by it in this behalf. After considering the report made as a result of such local inquiry and making such further inquiry as may appear to it to be necessary, the Academic Council shall grant or refuse the application or any part thereof. Where the application or any part thereof is granted, the Academic Council shall specify the subjects and courses of instruction in respect of which the institution is approved and make a report to that effect to the Board of Management at its next succeeding meeting. Where the application or any part thereof is refused, the grounds of such refusal shall be stated.

39. Inspection of college and reports.- (1) Every affiliated college, recognized institution and approved institution shall furnish such reports, returns and other information as the Academic Council may require to enable it to judge the efficiency of the college or institution.

(2) The Academic Council shall cause every such college or institution to be inspected from time to time by one or more competent persons authorized by it in this behalf.

(3) The Academic Council may call upon any college or institution so inspected to take, within a specified period, such action as may appear to it to be necessary in respect of any of the matters referred to in sub-section (1) of section 35, sub-section (2) of section 37, or as the case may be, sub-section (2) of section 38.

40. Withdrawal of affiliation.- (1) The rights conferred on a college by affiliation may be withdrawn in whole or in part or modified if the college has failed to curry out any of the provisions of sub-section (1) of section 35 or the college has failed to observe any of the conditions of its affiliation or the college is conducted in a manner which is prejudicial to the interests of education.

(2) A motion for the withdrawal or the modification of such rights shall be initiated only in the Academic Council The member of the Academic Council who intends to move such a motion shall give notice of it and shall state in writing the grounds on which it is made.

(3) Before taking the said motion into consideration, the Academic Council shall send a copy of the notice and written statement mentioned in sub-section (2) to the Principal of the college concerned together with intimation that any representation in writing submitted within a period specified in such intimation on behalf of the college, will be considered by the Academic Council.

Provided that the period so specified may, if necessary, be extended by the Academic Council.

(4) On receipt of the representation or on the expiry of the period referred to in sub-section (3), the Academic Council after considering the notice of motion, statement and representation and after such inspection by competent person or persons authorized by it in this behalf and such further inquiry as may appear to it to be necessary shall make a report to the Board of Management.

(5) On receipt of the report under sub-section (4) the Board of Management shall, after such further inquiry, if any, as may, appear to it to be necessary, record its opinion in the matter;

Provided that no resolution of the Board of management recommending the withdrawal of affiliation shall be deemed to have been passed by it unless the resolution ha obtained the support of two-thirds of the members present at a meeting of the Board of Management, such majority comprising not less than one-half of the members of the Board of Management.

(6) The Registrar shall submit the proposal and all proceedings, if any, of the Board of Management and the Academic Council relating thereto, to the State Government which, after such further inquiry, if any, as may appear to it to be necessary, shall make such order as it deems fit and communicate it to the Board of Management.

(7) Where by an order made, under sub-section (6), the rights conferred by affiliation are withdrawn in whole or in part or modified, the grounds for such withdrawal or modification shall be stated in the order.

41. Withdrawal of recognition or approval- (1) The rights conferred on an institution by recognition or approval may be withdrawn or suspended for any period by the Academic Council, if the institution has failed to observe any conditions of its recognition or approval or the work assigned to it, is conducted in a manner which is prejudicial to the interests of education, or the teacher recognized by the University leaves the institution.

(2) Before making an order under sub-section (1) in respect of any recognised or approved institution, the Academic Council shall by notice in writing, call upon the institution to show cause within one month from the date of the receipt of the notice, why such an order should not be made. The period so given for showing the cause may, if necessary, be extended by the Academic Council.

(3) On receipt of the explanation, if any, made by the institution in reply to the notice, and where no such reply is received, on the expiry of the period referred to in sub-section (2), the Academic Council shall, after such inquiry, if any, as may appear to it to be necessary, decide whether the recognition or approval should be withdrawn or as the case may be, suspended and make an order accordingly.

CHAPTER VII

POST GRADUATE TEACHING AND

RESEARCH CENTER

42. Post- graduate teaching- (1) All post-graduate instruction, teaching, research and training shall be conducted by the University or by such affiliated colleges or institutions and in such subject as may be prescribed by the Statute.

(2) All post- graduate departments and research centres shall ordinarily be located at the headquarters of the University. However, the University may locate any of such departments or centres at a place or places outside its headquarters.

(3) The University may maintain University centres at places other than the headquarters of the University on such terms and conditions, as may be prescribed by the Statutes and Ordinances.